बिहार सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–________/

संख्या............................../भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल राज्य के काराओं में परिधापक के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

1) यह नियमावली बिहार कारा ''परिधापक'' संवर्ग नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ :– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i.) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii.) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(iii.) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय कारा के काराधीक्षक;

(iv.) ''विभाग'' से अभिप्रेत है गृह विभाग; तथा

(v.) ''कारा निरीक्षणालय'' से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।

3. संवर्ग का गठन :– इस संवर्ग में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत एवं संसूचित पद बल / संख्या बल होगा ।

4. आरक्षण :– नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण नीति लागू होगी ।

5. भर्ती :–

(1) नियमित वेतनमान पर नियुक्ति होगी ।

(2) राज्य अवस्थित काराओं में कार्यशील चिकित्सालयों हेतु ''परिधापक'' के पद पर नियुक्ति होगी ।

(3) परिधापक पद पर नियुक्ति संलग्न **अनुसूची ''क''** में विहित प्रक्रियानुसार अथवा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर विहित प्रक्रियानुसार होगी ।

6. अर्हताएँ :– परिधापक पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता निम्नलिखित होगी :–

(i) प्रवेशिका उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अर्हता;

(ii) शारीरिक रूप से स्वस्थ हों;

(iii) सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो;

अथवा, सरकार के अनुमोदनोपरान्त कारा महानिरीक्षक द्वारा जो अर्हता समय–समय पर विहित की जाय ।

7. **<u>आयु सीमा</u> :–** न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाय ।

8. **<u>वेतन और भत्ते</u>** :– बिहार राज्य के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित वेतनमान एवं अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे ।

9. **<u>सम्पुष्टि</u> :–** (1) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर होगी । परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी । परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी । दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

(2) सेवा में संपुष्टि के लिए परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होना तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि की गणना सेवा संपुष्टि के पश्चात सेवावधि में परिगणित की जायेगी ।

10. **<u>निरसन एवं व्यावृति</u> :–** (1) इस नियमावली के प्रवृत होने के बाद परिधापक पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व के सभी परिपत्र / संकल्प / अनुदेश निरसित समझे जायेंगे ।

(2) पूर्व परिपत्रों / संकल्पों / अनुदेशों के अधीन की गयी सभी कार्रवाई विधि मान्य समझी जायेगी ।

11. **<u>कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति</u> :–** इस नियमावली के अनुपालन करने में होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति गृह विभाग के सचिव / प्रधान सचिव में निहित होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–अस्पष्ट

सरकार के सचिव

05.04.10

के0/कारा/अ0नि0–33/09

ज्ञापांक–4713/ पटना, दिनांक–09.04.10

प्रतिलिपि :–

अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुये इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीध्र उपलब्ध करायें ।

ह0/–अस्पष्ट

सरकार के सचिव

गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–4713/ पटना, दिनांक–09.04.10

प्रतिलिपि :–

महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–अस्पष्ट

सरकार के सचिव

गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–4713/ पटना, दिनांक–09.04.10

प्रतिलिपि :–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–अस्पष्ट

सरकार के सचिव

गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–4713/ पटना, दिनांक–09.04.10

प्रतिलिपि :–

कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना / अधीक्षक, केन्द्रीय कारा / मंडल कारा / उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–अस्पष्ट

05.04.10

सरकार के सचिव

गृह विभाग, बिहार।

अनुसूची ''क''

1. विज्ञापन :–

राज्य के प्रमुख एक हिन्दी और एक अंग्रेजी दैनिक सामाचार–पत्रों में नियुक्ति हेतु दो दिन विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा ।

2. आवेदन–पत्र का प्रेषण :–

सभी आवेदन–पत्र कारा महानिरीक्षक कार्यालय में विज्ञापन में यथाविहित पदाधिकारी को, संबोधित एवं यथानिर्दिष्ट तिथि तक प्रेषित किये जायेंगे ।

3. आवेदन शुल्क :–

आवेदन के साथ अनारक्षित / पिछड़ा तथा अतिपिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को यथाविहित फीस का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों हेतु कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

4. आवेदन–पत्रों की छंटाई एवं परीक्षण :–

आवेदन–पत्रों की छंटाई एवं परीक्षण कारा महानिरीक्षक द्वारा यथागठित समिति द्वारा की जायेगी ।

कारा महानिरीक्षक एक वस्तुनिष्ट प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किसी वाह्य श्रोत अथवा अपने विवेक से किसी अन्य संस्था या माध्यम से कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। यह परीक्षा 80 अंकों की होगी, जिसमें निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(i.) 40(चालीस) प्रश्नों का वस्तुनिष्ट एवं बहुविकल्पी एक प्रश्न–पत्र तैयार किया जायेगा। परीक्षा की अवधि 60 (साठ) मिनट की होगी ।

(ii.) यह प्रश्न–पत्र सामान्य–ज्ञान एवं परिधापक के कार्यो से संबंधित विषय–वस्तु पर होगा।

(iii.) इस परीक्षा में कोई अर्हतांक नहीं होगा, बल्कि कुल विज्ञापित रिक्तियों के कोटिवार चार गुणा उम्मीदवारों की योग्यता सूची बनाकर प्रायोगिक परीक्षा में बुलाया जायेगा और उसमें से सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा ।

5. <u>प्रायोगिक परीक्षा</u> :-

उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु प्रायोगिक परीक्षा के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को मिलाकर कारा महानिरीक्षक एक समिति गठित करेंगे :-

(i.)	निदेशक (प्रशासन), कारा निरीक्षणालय	– **अध्यक्ष**
(ii.)	गृह विभाग के द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	– **सदस्य**
(iii.)	कारा में पदस्थापित दो चिकित्सा पदाधिकारी	– **सदस्य**

प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक 20 होंगे ।

6. <u>अंतिम सूचीकरण</u> :-

लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार सूची रिक्तियों को भरने हेतु तैयार की जायेगी एवं इस प्रकार की तैयार की गई सूची कारा महानिरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी ।

7. <u>पैनल की वैधता</u> :-

कुल अधियाचित रिक्तियों की संख्या के अनुसार पैनल तैयार किया जायेगा। पैनल की वैधता कारा महानिरीक्षक को पैनल प्राप्ति की तिथि से मात्र एक वर्ष के लिए होगी । योगदान नहीं करने के कारण बच गई रिक्तियाँ अगले वर्ष के लिए अग्रणीत की जायेंगी ।